न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 234 / 2015 (अपील)

नन्दकिशोर पुत्र धन्ना खाती निवासी बूरनखेडी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

---अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

--रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 30.09.2015 मि0नं0 108 / 2015 तहसीलदार रामगंजमण्डी उनवान सरकार बनाम नन्दकिशोर अन्तर्गत धारा 91 भू रा0 अधि0 अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–13.01.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम बुड़नखेडी की भूमि खसरा नम्बर 123 की 0.48 हे0 किस्म गै0गु0 खलियान में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 108 / 2015 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 240 / – रूपये की शास्ति व दो माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 30.09.2015 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 23.11.2015 को पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.9.2015 खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया है, अपीलान्ट को किसी प्रकार का साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर

जिला कलेक्टर

निर्णय पारित किया गया हल, हल्का पटवारी ने आज तक अपीलान्ट से कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है और इस कारण निर्णय अधिनस्थ न्यायालय काबिल खारिज है अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 123 रकबा 0.48 हे0 भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नही किया है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे नही आता है और खसरा नम्बर 123 रकबा 0.48 हे0 का मौके पर कोई वजूद नहीं है । केवल मात्र अभिलेखों की त्रुटि के कारण प्रार्थी अपीलांट को दण्डित किया गया है । उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने उक्त आक्षेपित निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अपील पेश करने का वाद कारण दिनांक 30.10.2015 को उत्पन्न हुआ जब पुलिस थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा का सिपाही अपीलान्ट को गिरफ्तार करने आ गया, तब अपीलान्ट तहसील गया और प्रकरण की जानकारी कर उसी दिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपनी जमानत करवा कर अपील पेश करने हेतु मोहलत ली गई और तुरन्त नकल निर्णय लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की । अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद मय धारा 5 लिमिटेशन एक्त के प्रार्थना पत्र के पेश है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । वर्तमान में उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 0.48 हे0 किस्म गे0मु0 खलियान भूमि पर अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया है एवं कब्जा नहीं है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धिति कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । इसलिए अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो सही है । अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 23.11 2015 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 30.09.2015 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 30.10.2015 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षम्य किया जाकर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि नन्दकिशोर आत्मज श्री धन्ना खाती, निवासी ग्राम ग्राम बूरनखेडी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम बूढनखेडी की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गे0मु0 खलियान में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ तथा उसे बेदखल करते हुए 240/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए **दौ माह** के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग (शपथ पत्र) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी मौके पर कब्जा हटाने की पुष्टि स्वयं करले तथा यह साबित हो जावें कि वास्तव में अतिक्रमी द्वारा भौतिकरूप से अपना कब्जा हटा लिया है तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है, शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्ट उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पेश नहीं करता है तथा कब्जा नहीं छोड़ता है तो अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट अतिक्रमी को नियमानुसार सजा भुगतायेगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/1/21

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा